

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 अरेरा हिल्स जेलरोड किसान भवन भोपाल

क्रमांक/शिका./248-54/रीवा सं./871
प्रति,

भोपाल दिनांक 23/06/2025

अपर संचालक(वित्त)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
मुख्यालय भोपाल।

विषय:- शपथ पत्र पर डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उपसंचालक (प्रतिनियुक्ति) मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा के विरुद्ध भ्रष्टाचार जांच हटाकर कराने बावत।

संदर्भ:- श्री सुधाकर पाण्डे, भारतीय मानवाधिकार एसो.रीवा का पत्र दिनांक 14.5.2025

—:0:—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्र सहित संलग्न प्रेषित है। शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र पर डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उपसंचालक (प्रतिनियुक्ति) मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा के विरुद्ध संभाग की मंडियों में सचिवों पर दबाव बनाकर नियम विरुद्ध सामग्रिया जेम के माध्यम से कय कर भ्रष्टाचार करने की जांच हटाकर कराने बावत शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच आपको सौंपी जाती है चूंकि पूर्व में श्री आनंद मोहन शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें कार्यालयीन आदेश क्रमांक/शिका./224-39/जबलपुर सं./115 दिनांक 30.01.2025 से आपके नेतृत्व में गठित जांचदल आवंटित है। जांच प्रतिवेदन वर्तमान तक अपेक्षित है।

अतः उक्त शिकायत को जांच में सम्मिलित करते हुए सभी शिकायतों के पृथक-पृथक जांच प्रतिवेदन 07 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(शिका.)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

भोपाल दिनांक 23/06/2025

क्रमांक/शिका./248-54/रीवा सं./872

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री प्रवीण वर्मा, वर्तमान उप संचालक(स्थापना) दल सदस्य म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. श्री सीताराम अहिरवार वरिष्ठ अंकेक्षक दल सदस्य म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। संलग्न उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक(शिका.)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

विधान सभा तारंकित प्रश्न क्र० 2516 का परिशिष्ट-1-पेज 01 से 02 तक

(2)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26 अरेरा हिल्स जेलरोड किसान भवन भोपाल

क्र. / शिका. / 248-54 / रीवा सं. / 1062

भोपाल दिनांक / 6 / 07 / 2025

अपर संचालक(वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
मुख्यालय भोपाल।

विषय:- शपथ पत्र पर शहडोल संभाग में महुआफूल पर 5000/- रु. प्रति किं. के स्थान पर लगभग 3600/- रु. प्रति किं. के भाव पर मण्डी शुल्क जमा करवाकर मण्डी को आर्थिक क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने बावत।

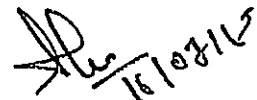
संदर्भ:- शिकायतकर्ता-श्री सुधाकर पाण्डे, प्रदेश सचिव कृषि संरक्षण, भारतीय मानवाधिकार एसो. रीवा का पत्र दिनांक 14.05.2025 एवं 16.06.20

-:0:-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रतियाँ संलग्न है। शहडोल संभाग में महुआफूल पर 5000/- रु. प्रति किं. के स्थान पर लगभग 3600/- रु. प्रति किं. के भाव पर मण्डी शुल्क जमा करवाकर मण्डी को आर्थिक क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं श्री आनंद मोहन शर्मा उप संचालक कृषि मण्डी बोर्ड सेवा से हटाकर किये गये भ्रष्टाचार की जांच साईबर काइम ब्रांच से कराये जाने की शपथ पत्र पर प्राप्त शिकायत की जांच आपके नेतृत्व में दल गठित कर को सौंपी जाती है।

अतः उक्त आवंटित शिकायत पर विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2528 तारांकित उठाया गया है जिसका उत्तर शासन को भेजा जाना है। वांछित जांच प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

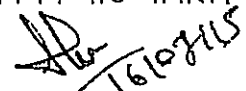
संलग्न :- उपरोक्तानुसार
प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित


16/07/25

संयुक्त संचालक(शिका.)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल
भोपाल दिनांक / 6 / 07 / 2025

क्रमांक / शिका. / 248-54 / रीवा सं. / 1063
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री नितीन कोल्हे, उप संचालक, दल सदस्य म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. श्री सीताराम अहिरवार वरिष्ठ अंकेक्षक दल सदस्य म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।


16/07/25

संयुक्त संचालक(शिका.)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 2516 का परिशिष्ट-1 पेज 01 सं. 02 तक

अनुभाग अधिकारी (2)

मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल.


संजीव अग्निहोत्र
प्रोग्रामर